संख्याः 171/चि0-3-2002-43/2002

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून : दिनांक 27 मार्च, 2002

विषयः- वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लेखानुदान द्वारा पारित धनराशियों का 01 अप्रैल से 30 जून, 2002 की अवधि हेतु स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्र संख्या -491/वित्त अनु0-1/2002 दिनांक 21-3-2002 के क्रम में, जिसकी प्रतिलिपि समस्त कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल को भी पृष्ठांकित है, (पुनः संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2002-03 के लेखानुदान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों में बचनबद्ध मदों (नईमांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त (यथा- वेतन, महंगाई भत्ता अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युतदर, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पैट्रौल, टेलीफोन तथा आवश्यक व्ययों की समस्त धनराशियों (संलग्न विवरणानुसार) जिनमें राज्य सेक्टर के राजस्व प्राविधानों में जिन्हें व्यय करने के लिए आप प्राधिकृत है, के लेखानुदान द्वारा राजस्व लेखा के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में रु0 156435हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपया 270212 हजार कुल रुपया 426647 हजार (रुपए बयालीस करोड़ छियासठ लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि 01 अप्रैल, 2002से 30 जून, 2002 की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) लेखानुदान द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही लेखानुदान आय-व्ययक प्राविधान की धनराशि अथवा परिव्यय की सीमा जो भी कम हो तक ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग 2002-2003 की नई मदों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय ।

(2) उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय ।

(3) राज्य आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय की स्वीकृतियां जारी करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि व्यय निर्धारित प्लान सीलिंग के अन्तर्गत हो रहा है । स्वीकृत व्यय को पूरा करने के लिए धनराशियों का विनियोग बजट मैनुअल के सम्बद्ध नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र धनराशियों का प्रदेशन ही किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता । व्यय करने से पूर्व जिन मामलों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । 2/

(38)

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हों अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या तथा आयोजनागत / आयोजनेत्तर आदि लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी ।

(5) संलग्न में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि धनराशियां परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायें । आवंटन एवं व्यय की स्थिति से कृपया शासन को भी अवगत कराया जाय ।

(6) कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोपरि ।

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: 171 /वि0-3-2002-43/2002 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
2- निदेशक कोषागार, देहरादून ।
3- सचिव, वित्त (बजट अनुभाग) देहरादून ।
4- सचिव, नियोजन अनुभाग, देहरादून ।
5- वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चन्द्रनगर देहरादून ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या: 171/चि0-3-2002-43/2002 दिनांक 27 मार्च, 2002 का संलग्नक

अनुदान संख्या-12 विभाग: चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण धनराशि रु0हजार में

राजस्व मद

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
001- निदेशन तथा प्रशासन	-	1522
102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना	23	1540 ए
110- अस्पताल तथा औषधालय	58334	91074
113- पुलिस कर्मियों का कल्याण	-	183
200- अन्य स्वास्थ्य सेवायें	2275	2181
800- अन्य व्यय	1250	75
योग-01	61882	96575
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
110- अस्पताल तथा औषधालय	14300	148155
800- अन्य व्यय	576	1412
योग: 03	14876	149567
06- लोक स्वास्थ्य		
001- निदेशन तथा प्रशासन	-	236
003- प्रशिक्षण	-	1507
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	3941	15283
102- खाद्य अपमिश्रण का निवारण	-	228
104- औषधि नियंत्रण	-	733
106- सेरा/ वैक्सीन का विनिर्माण	2	5309
107- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें	-	184
800- अन्य व्यय	-	590
योग: 06	3943	24070
2211- परिवार कल्याण		
001- निदेशन तथा प्रशासन	7864	-
003- प्रशिक्षण	1038	-
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें	50334	-
102- शहरी परिवार कल्याण सेवायें	2287	-
103- मातृ तथा बाल स्वास्थ्य	1330	-
104- परिवहन	1475	-
105- प्रोत्साहन (क्षतिपूर्ति)	3975	-
106- सार्वजनिक शिक्षा	274	-
200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां	7157	-
योग: 2211-	75734	-

	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
योग:- 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य तथा 2211- परिवार कल्याण	156435	270212

कुल योग: 426647हजाररुपये [ब्यालीस करोड़ छियासठ लाख सैंतालीस हजार रुपये मात्र]

[अर्जुन सिंह]
संयुक्त सचिव